अनुदान संख्या 87 – पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 87 - MINISTRY OF SHIPPING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1668,84,00	1676,09,00	1626,69,71	-49,39,29
पूरक	Supplementary	7,25,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,94,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	440,66,00	440,67,00	235,83,18	-204,83,82
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				195,80,03

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹4939.29 लाख) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त की गई ₹725.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹4939.29 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹725.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7303.00	6001.00	4891.80	-1109.20
पु.	R.	-1302.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	12600.00	11.45	..	-11.45
पु.	R.	-12588.55			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	3500.00			
पू.	S.	1.00	3699.00	3676.26	-22.74
पु.	R.	198.00			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	80140.00			
पू.	S.	721.00	77620.13	76503.92	-1116.21
पु.	R.	- 3240.87			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	23841.00			
पू.	S.	1.00	13008.65	12724.62	-284.03
पु.	R.	-10833.35			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3056"	Major Head "3056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport				
मू.	O.	22500.00			
पू.	S.	2.00	45414.14	45313.11	-101.03
पु.	R.	22912.14			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकार को सहायता अनुदान	Grant-in-aid to State Governments				
मू.	O.	17000.00			
			19560.13	19560.00	-0.13
पु.	R.	2560.13			

(I) ₹13601.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹13600.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अंतर्देशीय जल परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" – ₹9300.00 लाख; और

(ख) "अंतर्देशीय जल परिवहन – केंद्रीय योजना स्कीमें– आईडब्ल्यूटी का विकास" – ₹3300.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग

(I) Provision of ₹13601.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹13600.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2552" -

(a) "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - ₹9300.00 lakhs; and

(b) "Inland Water Transport - Central Plan Schemes - Development of IWT" - ₹3300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on

कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "इंजीनियरी उद्योग – परिवहन उपस्कर उद्योग – रक्षा पीएसयू शिपयार्डो के सिवाय सभी भारतीय शिपयार्डों को सहायिकी / वित्तीय सहायता" – ₹1000.00 लाख – प्रस्तावों के मूर्त रूप न दिए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Subsidy/Financial Assistance to all Indian Shipyards except Defence PSU Shipyards" - ₹1000.00 lakhs - due to non-materialization of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पोत परिवहन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹2411.20 लाख की बचत (₹7303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वीडियो कान्फ्रेंसिंग / बैठक का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Shipping" - saving of ₹2411.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7303.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards international Arbitration and non-holding of video conferencing/ meeting.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "इंजीनियरी उद्योग – यातायात उपस्कर उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries" - savings occurred under the following heads: -

(का) "अनुसंधान और विकास स्कीम (जहाज निर्माण) के लिए सहायता अनुदान" – ₹155.76 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों की स्थापना के प्रस्तावों के मूर्त रूप न लिए जाने के कारण हुई।

(A) "Grants-in-aid for Research and Development Schemes (Ship-building)" - saving of ₹155.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non- materialization of proposals for setting up of institutes.

(खा) "ई–गवर्नेंस" – ₹167.98 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीइएम पोर्टल में परिचालन कठिनाइयों के कारण हुई।

(B) "E-Governance" - saving of ₹167.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to operational difficulties in GeM Portal.

(IV) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(IV) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads: -

(का) "मुख्य पत्तन" –

(A) "Major Ports" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – सागरमाला" – ₹479.20 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Sagarmala" - saving of ₹479.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(ख) "पत्तन न्यास को सहायता" –

(i) "कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल का रख रखाव" – ₹2461.00 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुगली नदी के बकाया राशि का दावा का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "स्वच्छता कार्य योजना" – ₹200.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई।

(खा) "लघु पत्तन – निदेशन और प्रशासन – सीई – सह प्रशासन कार्यालय, पोर्ट ब्लेआर और ई.ई और संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली के संबंध में स्थापना शुल्क" – ₹752.06 लाख की बचत (₹6417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार में विविध पत्तनों पर नए कॉरगो हैडलिंग उपस्करों की वजह से कम रख रखाव मूल्य में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक" – ₹433.64 लाख की बचत (₹4163.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आकस्मिक श्रमिकों और बाह्य स्त्रोंतों से प्राप्त जनशाक्ति की कम नियुक्ति किए जाने, कार्यालय निर्माण कार्य के नवीकरण पूरा न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रकाश स्तंभ और कार्य व्यय" –

(i) "प्रबंधन" – ₹600.77 लाख की बचत (₹6950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वन निकास, तटीय विनियम क्षेत्र निकासी में विलंब की वजह से कार्य को न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Port Trust" -

(i) "River Dredging and Maintenance of river Hooghly and Haldia Channel by Kolkata Port Trust" - saving of ₹2461.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs) was due to non-settlement of arrear claims of Hooghly river.

(ii) "Swachhta Action Plan" - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to late receipt of proposals.

(B) "Minor Ports - Direction and Administration - Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator office at Port Blair and E.E. & Liaison office at New Delhi" - saving of ₹752.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6417.00 lakhs) was due to reduction in maintenance cost owing to new cargo handling equipments at various ports in Andaman & Nicobar.

(C) "Light Houses and Light Ships" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of ₹433.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4163.00 lakhs) was due to engaging of less contingent labour, outsourcing of manpower, non-completion of renovation work of office building and economy measures.

(b) "Light Houses - Working Expenses" -

(i) "Management" - saving of ₹600.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6950.00 lakhs) was due to non-taking up of works owing to delay in forest clearance and Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance.

(ii) "पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज" – ₹118.93 लाख की बचत (₹660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष पूंजीगत व्यय पर ब्याज की कम गणना किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Interest on Capital Outlay" - saving of ₹118.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹660.00 lakhs) was due to less calculation of interest on the capital expenditure of previous year.

(घा) "सामान्य" –

(D) "General" -

(क) "अनुसंधान और विकास" –

(a) "Research and Development" -

(i) "अन्य मदें (आर एंड डी स्कीम)" – ₹141.53 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(i) "Other Items (R & D Scheme)" - saving of ₹141.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for research and development projects.

(ii) "टैरिफ नियामक प्राधिकरण को अनुदान" – ₹165.11 लाख की बचत (₹1016.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ii) "Grants to Tariff Regulatory Authority" - saving of ₹165.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1016.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(ख) "अन्य व्यय – तेल प्रदूषण और शमन उपायों का मुकाबला करने के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹1032.21 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य पत्तनों द्वारा तेल छलकन के उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Re-imbursement for combating Oil Pollution and Mitigation Measures" - saving of ₹1032.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of Oil Spill equipment by Major Ports.

(V) मुख्य शीर्ष "3052" – सामान्य बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(V) Under Major Head "3052" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – पोत परिवहन महानिदेशक" – ₹1484.09 लाख की बचत ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10901.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने,

(A) "Direction and Administration - Directorate General of Shipping" - saving of ₹1484.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10901.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00

चिकित्सा और यात्रा दावों से कम प्राप्ति होने और किफायत उपाय किए जाने के कारण हुई।

lakh) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and travelling allowance claims and economy measures.

(खा) "प्रशिक्षण – भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय" – ₹9500.00 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(B) "Training - Indian Maritime University" - saving of ₹9500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years.

(VI) मुख्य शीर्ष "3056" – "अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम" – ₹2096.03 लाख की बचत (₹4800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत और म्यानमार एवं पड़ोसी देशों के बीच सेवाएं आरंभ न होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3056" - "International Co-operation - Bilateral Cooperation Programme" - saving of ₹2096.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.00 lakhs) was due to non-commencement of services between India and Myanmar and neighbouring countries.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – तटीय पोतपरिवहन घाट को सहायता" के अंतर्गत ₹2113.11 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कौशल अंतर रिपोर्ट के विलंब होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Assistance to Coastal Shipping Berth" - saving of ₹2113.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to delay in finalization of Skill Gap Report.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹97.30 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 97 प्रतिशत थीं।

(VIII) Under one head saving of ₹97.30 lakhs occurred constituting 97 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹28245.04 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹724.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2 (I). The above savings were partly (₹28245.04 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹724.00 lakhs - under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "इंजीनियरी उद्योग – परिवहन उपस्कर उद्योग – हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लि." – ₹1500.00 लाख/वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1499.00 लाख था।

(A) Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Hooghly Dock and Port Engineers Limited" - ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1499.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3051" –

(B) Major Head "3051" -

(क) "मुख्य पत्तन – पत्तन न्यासों को सहायता" –

(a) "Major Ports - Assistance to Port Trusts" -

(i) "कोचीन पत्तन न्यास" – ₹330.00 लाख।

(ii) "चैन्नई पत्तन न्यास" – ₹474.00 लाख।

(ख) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभ – कामकाजी खर्च – सामान्य आरक्षित निधि" – ₹931.90 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3056" – "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता"

(क) "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान" – ₹15989.14 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹15987.89 लाख था।

(ख) "जल मार्ग विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई को अनुदान" – ₹7600.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7499.25 लाख था।

(ग) "जल मार्ग विकास परियोजना के लिए आईडब्ल्यूएआई के लिए ईबीआरएस/बॉड पर निर्वहन ब्याज" – ₹1420.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "3051" – "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभ – कामकाजी खर्च – संचालन और रखरखाव" ₹298.94 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेसर्स कोचीन पोत प्रांगण लिमिटेड को एमवी दीपस्तंभ, एमवी सागरदीप पोत को रखरखाव और प्रबंधन संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" –

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन – आईडब्ल्यूटी का विकास" – ₹1673.14 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

(i) "Cochin Port Trust" - ₹330.00 lakhs

(ii) "Chennai Port Trust" - ₹474.00 lakhs.

(b) "Light House and Light Ships - Light Houses - Working Expenses - General Reserve Fund" - ₹931.90 lakhs.

(C) Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and other Undertakings" -

(a) "Grants to Inland Waterways Authority of India" - ₹15989.14 lakhs. Actual excess, however, was ₹15987.89 lakhs.

(b) "Grants to IWAI for Jal Marg Vikas" - ₹7600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7499.25 lakhs.

(c) "Discharging Interest liability on EBRs/Bonds for IWAI for JAL Marg Vikas Project" - ₹1420.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "3051" - "Light House and Light Ships - Light Houses - Working Expenses - Operation and Maintenance" - excess of ₹298.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance and management of vessels "MV Deepstambh", "MV Sagardeep" to M/s Cochin Shipyard Limited.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States" -

(a) "Central Pool of Resources for North Eastern Region - Development of IWT" - excess of ₹1673.14 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of

परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" के कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "विशेष सहायता – सागरमाला परियोजना" – ₹2999.97 लाख का अधिक व्यय (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(b) "Special Assistance - Sagarmala Project" - excess of ₹2999.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to receipt of more proposals.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

3 In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तन और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	40065.00	22540.00	22554.67	+14.67
पु.	R.	-17525.00			
मुख्य शीर्ष "5052" पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital outlay on Shipping				
मू.	O.	3000.00	495.97	57.48	-438.49
पु.	R.	-2504.03			

(I) ₹2002.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2000.00 लाख मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – अन्य व्यय – ई–गवर्नेंस" के अंतर्गत मास्टर सेवा अनुबंध परियोजना और

(I) Provision of ₹2002.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh lakh obtained in March, 2018) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹2000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5052" - "General -

कार्य आदेश का निर्गमन के अंतिम रूप में विलंब होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किया गया।

Other Expenditure - E-Governance" - due to delay in finalisation of master service agreement project and issuance of work order.

(II) मुख्य शीर्ष "5051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "5051" - savings occurred under the following heads:-

(का) "मुख्य पत्तन – निदेशन और प्रशासन – सागरमाला विकास कंपनी" – ₹12500.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव के लिए विधिक मूल्यांकन का अंतिम रूप न लिए जाने के कारण हुई।

(A) "Major Ports - Direction and Administration - Sagarmala Development Company" - saving of ₹12500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to non-finalization of legal appraisal for the proposal for equity valuation for investment in Sagarmala Development Company Limited.

(खा) "लघु पत्तन – अन्य लघु पत्तन – लेंडिंग सुविधाएं और जेटीस का निर्माण" – ₹4988.29 लाख की बचत (₹9665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वितरित खिंचाव में विलंब होने और पर्यावरण की मंजूरी की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(B) "Minor Port"- "Other Small Ports - Construction of landing Facilities and Jetties" - saving of ₹4988.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9665.00 lakhs) was due to delay in delivery of Tug and non-receipt of environmental clearance.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – अन्य व्यय – भवन" – ₹942.52 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए जहाज भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Building" - saving of ₹942.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in obtaining NOCs for construction of new Jahaz Bhawan by Central Public Works Department.